भाग एक : खण् ड सात

वन सं िवदा िनयम

ब. 2388/दस/59 िदनांक 27.3.1959 (मध् य ूदेश राजपऽ भाग 4(ग) िदनांक 27.3.1959 पृष्ठ 223) - वन अिधनियम 1927, (िवधान ब. 16 वषर् 1927) की धारा 32, 41, तथा 76 के खण् ड (3) द्वारा ूदत् तशिक्तयों को ूयोग में लाते हुए, राज् य शासन एतद्द्वारा 'वन सं िवदा' के िविनयिमत करने के िलये िनम् न िनयम बनाता है :

(1) वन सं िवदा िनयम जो महाकौशल क्षेऽ में ूभावशील है वही िनयम राज् य के अन् य क्षेऽों में लागू होगा। जैसा िक महाकौशल क्षेऽ में ूभावशील है।

(2) वन सं िवदा िनयम, जो महाकौशल में क्षेऽ में ूवृत्त है वे िनयम, आवँ यक पिरवतर्न सिहत, राज् यके संरिक्षत वनों की सं िवदा के िलये पूरे राज् य में ूवृत्त होंगे, जैसे ये िनयम महाकौशल क्षेऽ के आरिक्षत वनों के सम् बन् ध में ूवृत्त है।

(3) ये िनयम ऐसी सभी सं िवदा के िलये लागू होंगे जो इस िनयमों के ूभावशील होने के बाद या पूवर् में की गई हो।

(4) ऐस सभी िनयम, जो इन िवषयों पर पूववर्तीर् राज् य िजसमें मध् य भारत, िवन् ध् य ूदेश, भोपाल तथा राजः थान राज् य के िसरोंज क्षेऽ में ूवृत्त थे एतद्द्वारा िनरिसत िकये गये:

परन् तु ऐसे िनरिसत िनयमों के अन् तगर्त की गई सं िवदा उन् हीं िनयमों के ूावधानों के अनुसार संचािलत की जावेगी। जैसे िक यह िनयम बनाये ही नहीं है।

वन सं िवदा िनयम

अिधसूचना ब. 178-450 दस-5 िद. 10.2.27 एवं 438-218 दास- िद. 6.4.27 अनुवािदतयत: सं िवदा करने के िलये वन अिधकािरयों और वन ठेकेदारों के मागर् दशर्न के िलये, वन उपज के बय-िवबय के िलये, वन सं िवदाओं के फामोर्ं के सरलीकरण करने के िलए, वन उपज में शासकीय अिधकार को सुरिक्षत करने के िलए, आरिक्षत वनों में िनजी व् यिक्तयों के अिधकार सुरिक्षत रखने के िलये राज् य शासन यह िनयम भारतीय वन अिधनियम, 1878 की धारा 41, 76 (घ) एवं 85 के अन् तगर्त बनाती है। ये िनयम 1 जलाई, 1927 से ूभावशाली रहेंगे।

ारिम्भक

1. सं िक्षप् त नाम - इन िनयमों को "वन सं िवदा िनयम" कहा जावेगा।

2. सभी वन ठेके इन िनयमों केअधीन माने जावेगें - सभी सं िवदा, िजसके अनुसार शासन, वन उपज, खरीददार को बेचता है, यथाशक् य, िनम् न िनयमों के, जहाँ तक लागू हो सकते हों, अधीन होगा तथा ये िनयम, जहां तक लागू हों, वन अिधनियम के अन् तगर्त बने िनयमों की तरह ही नहीं, बिल्क वन सं िवदा की शतोर्ं की तरह बन् धनकारी होंगे :

परन् तु वन अिधकारी, जो वन सं िवदा िनं पािदत करता है, उसको सं िवदा में "आवँ यक ू ावधान" (Express Provision) जोड़कर, इन िनयमों में पिरवतर्न करने का अिधकार है और जोड़कर 'आवँ यक ूावधान' इन िनयमों के िवरूद्ध है वहाँ "आवँ यक ूावधान" (Express Provision), अिभभावी (Prevail) होगा :

परन् तु राज् य शासन की अनुमित के िबना कोई असामान् य शतोर्ं वाली सं िवदा और पूवर् में की गई सं िवदा में कोई महत् वपूणर् पिरवतर्न नहीं िकये जावेगें।

3. पिरभाषाएँ - इन िनयमों में -

(1) "वन सं िवदा" (Forest Contract) सेतात् पयर् ऐसी सं िवदा से है िजसमें शासन वन उपज को बेचना तथा बेता खरीदना ः वीकार करता है।

(2) "वन ठेकेदार" (Forest Contractor) से तात् पयर् ऐसे व् यिक्त से है जो वन सं िवदा के अन् तगर्त 'वन उपज' बय करता है।

(3) "सं िवदा क्षेऽ" (Contract Area) से तात् पयर् ऐसे क्षेऽ से है जो "वन सं िवदा" में सिम्मिलत है।

4. ठेकेदार, उसके द्वारा खरीदे गये वन उपज का ही अिधकारी है - वन ठेकेदार, उनके द्वारा वन सं िवदा के अन् तगर्त खरीदी गई सािमिमयों के अितिरक् त अन् य वन उपज के िविनयोजन (Appropriate) या उपयोग (Use)का अिधकारी नहीं होगा; जब तक िक उसे उक् त सं िवदा में "िविशं ट उपबन् ध" (Express Provision) या इन िनयमों द्वारा अनुमित ूदान नहीं की जाती है।

5. वन सं िवदा ठेकेदार िनजी अिधकारों (Private rights) का सम् मान करेगा - वन में ूवेश सम् बन् धीतथा उपज के िविनयोग के सम् बन् ध में वैधािनक रूप से िनजी व् यिक्तयों में िनिहत अिधकारों को मान् यता देने के िलये बाध् य है।

चलन (Operation) को िविनयिमत करने के िनयम िजनको वन सं िवदा के अन् तगर्त करना आवँ यक है (1) सामान् य

6. वन सं िवदा क्षेऽ तक पहुँच अनुज्ञिप्त (Accessory License to Forest Contracts) - वन ठेकेदार, उसके नौकर तथा अिभकतार् को, सं िवदा में िविनदरं ट भूिम में जाने के िलए और वन सं िवदा के अन् तगर्त खरीदे हुएवनोपज के दोहन के िलये आवँ यक कायर्वाही करने हेतु अिधकृत करते हुए ूवेश अनुज्ञिप्त, वन सं िवदा के साथ रहेगी :

परन् तु उक् त ूवेश अनुज्ञिप्त इन िनयमों और वन संिवदा के अन् तगर्त िविनिदर् ट शतोर्ं, और सीमाओं के अधीन मानी जावेगी और वन संिवदा की ः वीकृित किथत शतोर्ं और सीमाओं (Limitations) की ः वीकृित मानी जावेगी।

7. समय, वन संिवदा का सार (Essence) होगा - जहां, िकसी वन संिवदा की शतोर्ं द्वारा, यह ः वीकृत हो िक वन संिवदा के अन् तगर्त खरीदे गये वन उपज का दोहन, िनिश्चत अविध के दौरान केवल िकया जा सकता है, समय उक् त संिवदा का सार माना जावेगा और िविनिदर् ट समय के समाप् त होने पर, संिवदा के अन् तगर्त ठेकेदार के अिधकार समाप् त हो जावेंगे और संिवदा क्षेऽ की सीमा से बाहर नहीं िनकाली गई वन उपज, पूणर्तय: शासन की सम् पित्त हो जावेगी :

परन् तु, शासन की ओर से उक् त संिवदा के सम् बिन्धत इकरारनामा को िनं पािदत करने के िलए अिधकृत अिधकारी को, उसके द्वारा िलिखत कारणों से, ऐसी शतोर्ं और पटाये जो वाले ूीिमयम सिहत, जो वह उिचत समझे, संिवदा की अविध बढ़ाने का अिधकार होगा । वृिद्ध करने की यह शिक्त इस शतर् के अधीन होगी िक वह वन अिधकारी, ः थायी आदेश के अन् तगर्त, वृिद्ध सिहत पूणर् अविध की संिवदा ः वीकृत करने के िलए सक्षम हैं।

8. वन अिधकारी की वनोपज की िनकासी रोकने की शिक्त - जब शासन को देय वन संिवदा की रािश िकँ तों में देय हो, और वन मण् डलािधकारी अिन्तम िकँ त पटने के पूवर्, िकसी भी समय ऐसा सोचना है िक ठेकेदार द्वारा ले जाई गई वनोपज की कीमत, पूवर् में जमा की गई िकँ तों की रािश से अिधक होती है, तब वन मण् डलािधकारी, क्षेऽ से वनोपज की िनकासी रोक सकता है, जब तक ठेकेदार ऐसी रािश नहीं पटा देता, जो उसके िवचार से अिधक पिरवहन की गई वनोपज का मूल् य चुकाने के िलए यथें ट हो :

परन् तु यिद िकसी वन अिधकारी की राय में, जो पिरक्षेऽ अिधकारी(Range Officer) के पद से अिनम् न न हो, धारा 8 के उल् लंघन के िलये, तत् काल कायर्वाही करना आवँ यक हो, तो ऐसा वन अिधकारी -

(i) ठेकेदार या उसके अिभकतार् को (यिद कोई है) िलिखत सूचना देगा, िजसमें उस आधार का लेख करेगा, िजसके कारण यह िनणर्य िलया और ठेकेदार और उसके अिभकतार् को िनदेर्िशत करेगा िक वे संिवदा क्षेऽ से वनोपज का पिरवहन बन् द कर दें।

(ii) वह इस तथ् य का ूितवेदन वन मण् डलािधकारी को, उनके आदेश हेतु ूः तुत करेगा, िजस पर वह जैसा उिचत समझे, आदेश देगा।

ः पं टीकरण - इस िनयम के ूयोजन के िलये िनकास की गई वनोपज का मूल् य उस आधार से लगाया जावेगा, िजस दर से िकँ त पटाता है, न िक ठेकेदार को बाजार में िमलने वाले मूल् य के आधार से।

िटप् पणी - वन मण् डलािधकारी को िनयम 8 के अन् तगर्त, पटाई गइर् िकँ त से अिधक मूल् य का वनोपज पिरवहन करने पर, आगे वनोपज िनकासी पर रोक लगाने का अिधकार है।

देखें- (जे एल. जे. ओ. 1972 पृष्ठ 316 अख् तर खान िव. वन मण् डलािधकारी)

(म. ू. ए. आई. आर. 1977 पृष्ठ 90 जुगल िकशोर िव. म.ू. राज् य)

9. वन मामवािसयों का िनयोजन - जब िकसी वन संिवदा के अन् दर ः वीकृत कायर्, ौिमक के िनयोजन से सम् बन् ध हो, यिद वन मण् डलािधकारी द्वारा अपेिक्षत िकया जावे, तो ठेकेदार अन् य ौिमकों की अपेक्षा संिवदा क्षेऽ के अन् दर या पास के, वन माम के िनवािसयों को िनयोिजत करने में ूाथिमकता देगा, बशतेर् ऐसे वन माम उस क्षेऽ से िववेकपूणर् दूरी पर पहुंच योग् य हैं।

वन ठेकेदारों द्वारा, व मामवािसयों का िनयोजन ऐसी दरों व शतोर्ं पर होगा, जो वन मामों के ूबन् धन के सम् बन् ध में राज् य शासन के ः थायी आदेशों के अन् तगर्त, समय-समय पर िनधार्िरत की जावे।

10. अनुपयुक् त व् यिक्त िनयोिजत नहीं होंगे - वन ठेकेदार, उसकी वन संिवदा के अन् तगर्त िकसी कायर् पर, िकसी ऐसे व् यिक्त को, जो वन िवभाग से बरखाः त (Dismissed) िकया हो, िनयोिजत नहीं करेगा और ऐसे िकसी व् यिक्त का, िजसका िवरोध वन मण् डलािधकारी, अनुपयुक् त मानकर करें, िनयोजन समाप् त कर देगा।

11. वन ठेकेदार अपने नौकरों एवं अिभकतार्ओं को िविशं ट िचन् ह (Badge)ूदान करेगा - यिद वन मण् डलािधकारी द्वारा िलिखत रूप में अपेिक्षत िकया जाने, तो वन ठेकेदार, अपने नौकरों और अिभकतार् को िविशं ट िचन् ह (Badge) हः ताक्षर युक् त अिधपऽ (Signed Warrant) या अन् य ऐसी वः तु, जो वन मण् डलािधकारी द्वारा अनुमोिदत की जावे, ूदाय करेगा िजससे वे तुरन् त ही पिहचाने जा सकें। संिवदा क्षेऽ में उपरोक् त ूतीक िचन् ह साथ न रखने पर नौकर या अिभकतार् को अन् याबान् ता(Tresspasser) के रूप में व् यवहार िकये जो योग् य होगा।

12. वन उपज की िनकासी के िलये पास

(1) वन ठेकेदार, संिवदा क्षेऽ से कोई वन उपज तब तक नहीं िनकालेगा, जब तक उसके साथ, ठेकदार या उसके अिधकृत अिभकतार् (Authorized Agent) द्वारा हः ताक्षिरत तथा िहन् दी भाषा (देवनागरी िलिप) में िलिखत, पास न होगा।

(2) उक् त पास पिरक्षेऽ कायार्लय से, उनका मूल् य पटाने पर ूाप् त होंगे। ये पास तीन पतों में होंगे तथा पुिःतका के रूप में बँधी िजल् द में होंगे। ूत् येक पुः तक पर पिहचान संख् या अंिकत होगी और पुः तक के ूत् येक पृष्ठ पर अनुबमानुसार नम् बर डले रहेंगे।

(3) तीनों पतोर्ं में ूथम पतर् उस व् यिक्त को दी जायेगी, जो ले जाने वाली वन उपज का ूभारी होगा। दूसरी पतर् ठेकेदार िनयम 16 के अन् तगर्त, ूः तुत करने वाले िनकासी के गोशवारे (Abstract) के साथ ूः तुत करेगा। तीसरी पतर् पुः तक में ही रहेगी जो ठेकेदार के पास रहेगी।

(4) जब वन संिवदा समाप् त होती है तो पासों की कोरी पुः तकें व पृष्ठ पिरक्षेऽ अिधकारी को वापस िकये जावेंगे और ठेकेदार को उसका मूल् य वापस िकया जाएगा।

13. वनोपज को िनधार्िरत मागर् से ले जाया जावेगा और िनधार्िरत िडपो में जाँच करावेगा - वन ठेकेदार, अिधिनयम के अन् तगर्त बने िनयमों में िविनिदर्ं ट या वन संिवदा में िविनिदर्ं ट मागर् से अितिरक् त, अन् य मागर् से वनोपज को नहीं ले जाएगा, और उसके द्वारा पिरवहन की जा रही वनोपज को ऐसे िडपो या ः थान में, जो उसी तरह िविनिदर्ं ट की जाये, वहां जाँच एवं परीक्षण करायेगा।

14. वनोपज को िदन के समय िनकासी करेगा - वन मण् डलािधकारी की िविशं ट अनुमित के िबना, वन ठेकेदार, संिवदा क्षेऽ से िकसी वन उपज को सूयार्ः त के बाद और सूयोर्दय के पूवर्, िनकास नहीं करेगा।

15. नुकसानी के िलए वन ठेकेदार की िजम् मेदारी - (1) आरिक्षत वनों में वन ठेकेदार उसके नौकरों, अिभकत् तार् द्वारा िकये जाने वाली िकसी नुकसानी के िलये वन ठेकेदार िजम् मेदार रहेगा। उक् त नुकसानी का मुआवजा, वन मण् डलािधकारी द्वारा मूल् यांिकत िकया जाएगा िजसका िनणर्य पंच का िनणर्य माना जाएगा और पक्षकारों के िलए अिन्तम एवं बन् धकारी होंगे िकन् तु वह िनयमों के अन् तगर्त केवल वन संरक्षक के समक्ष अपील के अधीन होगा।

ः पं टीकरण - (1) इस उपिनयम के ूयोजन के िलए, अिभकतार् में उप-ठेकेदार या अन् य कोई व् यिक्त, िजसको वन संिवदा के अन् तगर्त िबबी शुदा वनोपज को ले जाने के िलए अिधकृत करते हुए वन ठेकेदार ने अनुज्ञिप्त(License)या अनुज्ञा (Permit) दी है, को शािमल माना जाएगा। परन् तु ऐसा व् यिक्त नहीं सिम्मिलत माना जायेगा िजसको िनयम 33 उपिनयम (2) के अनुसार ठेकेदार ने वन ठेकेदार ने वन संिवदा के अन् तगर्त के अपने सभी अिधकारों को सौंप िदया है।

(2) इस िनयम के अन् तगर्त, क्षित के रूप में मूल् यांिकत कोई रािश, राजः व की बकाया रािश के रूप में वसूली योग् य होगी और वन मण् डलािधकारी द्वारा िदया ूमाण-पऽ िक उक् त रािश बकाया है, वसूली के िलये अिधकृत राजः व अिधकारी द्वारा सही माना जावेगा।

16. वन ठेकेदार िहसाब रखेगा और गोशवारा (Abstract) ूः तुत करेगा - वन ठेकेदार, वन मण् डलािधकारी द्वारा अनुमोिदत ूपऽों में, उसके द्वारा संिवदा क्षेऽ से िनकाली गई िविभन् न ूकार की वन उपज की माऽा का िहसाब रखेगा और ऐसा िहसाब वन मण् डलािधकारी द्वारा िनदेर्िशत, ऐसे कायार्लय में, तथा ऐसे अन् तराल में जो एक माह से कम न हो, जैसा िक वन संिवदा में िविनिदर्ं ट हो, उक् त िहसाब का गोशवारा (Abstract) पेश करेगा।

(2) िविशं ट - खड़े वृक्षों की संिवदा के िलये िवशेष िनयम

17. पातन का तरीका

(1) वन, ठेकेदार, िजसने खड़े वृक्ष खरीदे हैं, वह अपनी संिवदा के अन् तगर्त उसके द्वारा खरीदे गये सभी वृक्षों को काटेगा और ले जाएगा।

(2) पातन सावधानी से, ध् यानपूवर्क तथा चतुर कारीगर के समान तरीके से िकया जाएगा।

(3) जब तक वन मण् डलािधकारी अन् यथा िलिखत आदेश द्वारा िनदेर्िशत न करे, सभी वृक्षों की कटाई इस ूकार की जावेगी िक उनका ठूँठ जमीन से 3 इंच (7.6 से.मी.) से अिधक ऊँचा नहीं होगा, तथा छाल को ठूँठ से लगी होनी चािहये तथा उसको नुकसान नहीं पहुँचना चािहये।

लेिकन जब वृक्षों के तने पर हथौड़े का िनशान लगा हो तो ऐसा िनशान पूरा का पूरा छोड़ िदया जाएगा।

(4) वन मण् डलािधकारी, कूप में आगे पातन रोक सकता है, जब तक िक उपिनयम (2) एवं (3) का पालन िपछली कटाई में उसकी संतुिष्ट लायक नहीं हो जाता है।

18. खण् डों द्वारा कायर् करने की योजना - इस िनयम के ूयोजन के िलये, खड़े वृक्षों की िबबी की संिवदा के अन् तगर्त, संिवदा क्षेऽ में िदये जाने वाले कायोर्ं को दो ः तरों में िवभािजत िकया जाता है -

(अ) वृक्षों की कटाई कायर्

(ब) ढुलाई कायर् - कटाई कायर् के अन् तगर्त, वृक्ष के ठूँठ के पास ही, जहां पातन हुआ है, पातन और पिरवतर्न की सभी ूिबयायें जैसे छांटना, डालें काटना (Trimming), पिरंकृत करना (Dressing), टुकड़े करना (Splitting), या िचराई करना (Sawing) आिद सिम्मिलत है जो वृक्ष को पातन ः थल से हटाये िबना हो सकती है।

(ब)

ढुलाई कायर्(Carting) - ढुलाई कायर् के अन् तगर्त पातन िकये सभी वृक्षों या उसके पिरवितर्त उत् पादनों को कटाई ः थल से (जहां वृक्ष काटा गया) पिरवहन करने सम् बन् धी सभी कायर् सिम्मिलत हैं चाहे वह िडपो, में िचराई िमल में या अन् य गंतव् य ः थान (Destination)में हों।

(2) वन मण् डलािधकारी संिवदा क्षेऽ, (िजसे इन िनयमों के ूयोजन के िलये आगे से संिक्षप्त में 'कूप' (Coupe) कहा जाएगा) में िजतने वह उिचत समझे, अिधकतम आठ खंडों (Sections) में िवभािजत करेगा।(सामान् यतय: चार खण्

ड होते हैं) और उसकी िनम् निलिखत िनयमों के अनुसार, इन धाराओं के अन् तगर्त, इन खण् डों के अन् दर कायोर्ं के िविनयमन और सीिमत करने का अधिकार होगा-

(अ) खण् डों का अंकन इस ूकार होगा िक पूरे कूप में बमानुसार संख् या से अंिकत खण् ड पास-पास होंगे और खंडों की संख् या लगातार ूगित में रहेगी (जैसे सेक् शन 1 से 2 की सीमा लगी रहेगी, सेक् शन दो से सेक् शन तीन की सीमा लगी रहेगी इस ूकार बम चलेगा)।

(ब) जब वन ठेकेदार अपना कायर् ूारम् भ करता है, तब उसे ूथम दो खण् ड (Section) एक एवं दो में कटाई करने की अनुमित दी जाएगी। जैसे ही वह सेक् शन 3 में कटाई ूारम् भ करता है तो यह माना जाएगा िक उसने सेक् शन 1 में समः त खड़े वृक्षों से अपना अधिकार समिपर्त कर िदया है। जब वह सेक् शन चार में कटाई ूारम् भ करता है, तो यह माना जाएगा िक उसने सेक् शन 'दो' में खड़े समः त वृक्षों से अपना अधिकार समिपर्त कर िदया है। इसी बमानुसार पूरे कूप में कटाई कायर् होगा।

(स) जैसे ही वन ठेकेदार कटाई कायर् ूारम् भ करता है, तो वह पिरवहन का कायर् भी ूारम् भ कर सकता है। िकन् तु जब वह सेक् शन 'चार' में कटाई ूारम् भ करता है तो यह माना जायेगा िक उसने खण् ड 1 की समः त वन उपज में, संिवदा के अन् तगर्त अपने अधिकारों को समिपर्त कर िदया है जब वह सेक् शन 5 में कटाई ूारम् भ करता है तो यह माना जावेगा िक उसने सेक् शन (2) के अपने समः त अधिकारों को समिपर्त कर िदया है और इसी ूकार पूरे कूप में कायर् होगा।

(3) वन मण् डलािधकारी, िलिखत आदेश द्वारा, उिल्लखत कायर्बम के पूवर् में ही िकसी िविशं ट वगर् की इमारती लकड़ी को काटने व पिरवहन करने की अनुमित, वन ठेकेदार को दे सकता है।

19. इमारती लकड़ी को िचिन्हत करने की वन अधिकारी की शिक्त - वन मण् डलािधकारी और उसके अधीनः थ को कूप से िनकाले जाने के पूवर् इमारती लकड़ी में िचन् ह लगाने का अधिकार होगा।

20. पातन िकये गये वृक्षों के सम् बन् ध में िवशेष िनयम -

(1) ये िनयम िकसी ऐसी संिवदा पर लागू होंगे जहाँ वृक्ष, वन िवभाग द्वारा, या िवभाग के अन् तगर्त कायर् करने वाले कोई अिभकरण द्वारा िगराये गए हों, और केवल कटे हुए वृक्ष वन ठेकेदार को बेचे गये हों।

(2) वन ठेकेदार, िजसने कटे हुए वृक्ष खरीदे हैं, वह अपनी संिवदा के अन् तगर्त खरीदे सभी वृक्षों को ले जाएगा।

(3) िनयम 18 व 19 के ूावधान ऐसी संिवदा के िलये लागू होंगे, जहां तक वे लागू हो सकें।

21. बांस के िलये िवशेष िनयम -

(1) संिवदा क्षेऽ, वन मण् डलािधकारी द्वारा, िकसी भी संख् या के खंडों में िवभािजत िकया जा सकता है और वन मण् डलािधकारी िनदेर्श दे सकता है, िक अगले खंड में बांस का ले जाना ूारम् भ करने के पूवर्, िपछले खंड से बांस का पिरवहन पूणर् करना होगा।

(2) िभरे (Clump) के सभी सूखे बांस काटे जायेंगे।

(3) एक वषर् से कम उॆ के बांस नहीं काटे जायेंगे।

(4) ू त् येक िभरे (Clump) में एक वषर् से अिधक उॆ वाले कम से कम 12 हरे बाँस छोड़े जायेंगे।(5) बांस के ठूँठ 30 से.मी. से कम तथा 60 से.मी. से अिधक ऊँचाइर् के नहीं होंगे।

22. लाख के िलये िवशेष िनयम -

(1) लाख की खरीदी के िलये वन संिवदा िनम् न ूावधानों के अन् तगर्त होगी।

(2) वन मण् डलािधकारी की िलिखत अनुमित के िबना, वन ठेकेदार, कुसुम (Schleicheratryuga), पलास (Butea frondosa), घोंट (Zizyphus xylophyra), बेर (Zizyphus jujuba) और अन् य वृक्ष िजन पर लाख उत् पन् न हो सकती है, के अितिरक् त िकसी अन् य वृक्षों को नहीं काटेगा और लाख लगने वाले वृक्ष की शाख तराशी (Trimming) इस सीमा तक की जायेगी जो लाख के ूजनन (Propagation), संवद्धर्न (Cultivation) और संमहण (Collection) के िलये आवँ यक हो।

(3) संिवदा की अिन्तम उपज (Harvest) लेते समय लाख धारण करने वाले कुल वृक्षों में से कम से कम आधे लाख लगने वृक्षों की लाख नहीं िनकाली जायेगी और उन् हें वैसे ही छोड़ िदया जायेगा।टीप - भिवं य में लाख के ूजनन एवं सवंधर्न के उद्देँय से ऐसे वृक्ष छोड़े जाते हैं।

23. रूसा तेल के िलये िवशेष िनयम -

(1) जब वन संिवदा रूसा या ितरवारी घास (Andropogan Schoenanthus) से तेल िनकालने सम् बन् धी हो तो िनम् निलिखत िवशेष ूावधान लागू होंगे।

(2) वन ठेकेदार, उसके नौकर या अिभकतार् तेल िनकालने के यंऽ (Still) में उपयोग हेतु सूखा ईंधन एकिऽत करने के अधिकारी होंगे। और यन् ऽ के पास झोपड़ी बनाने के िलये घास व लकड़ी एकिऽत करने के अधिकारी होंगे।

परन् तु वन मण् डलािधकारी, ऐसी शतोर्ं के अधीन जैसा वह उिचत समझे, ठेकेदार को ईंधन के िलये गीली लकड़ी काटने की अनुमित दे सकता है।

(3) वन मण् डलािधकारी की िलिखत अनुमित के िबना वन ठेकेदार, िकसी आरिक्षत वन के अन् दर या

आरिक्षत वन से लगे क्षेऽ में तेल िनकालने का संयंऽ नहीं लगाएगा। वह संयंऽ वन मण् डलािधकारी द्वारा दशार्ये ः थलों पर ही ः थािपत करेगा।
(4) वन ठेकेदार, अपना संयंऽ ऐसे ः थल पर ः थािपत नहीं करेगा तथा उसकी गंदगी (Refuse) इस ू कार ूवािहत नहीं करेगा िजससे िकसी माम का जल ूदाय ॐोत दूिषत हो जावे।
(5) वन मण् डलािधकारी ूथम जनवरी से एक जून तक की अविध में, उस वन क्षेऽ में, जो रूसा तेल िनकालने की संिवदा में सिम्मिलत हो, वनों को जलाने का अिधकार रखता है और इस ूकार आग लगाने से ितरवारी घास को हुई क्षित के िलये शासन िजम् मेदार नहीं होगा।

24. िछन् दी वृक्ष के िलये िवशेष िनयम -

(1) जहाँ िछन् दी वृक्ष से रस िनकालने की संिवदा हो वहाँ िनम् निलिखत िवशेष ूावधान लागू होंगे -(2) भूिम से 150 से.मी. से कम में या केन् िीय मेखला के आधार से 30 से.मी. के अन् दर या पूवर् में िकए गये िकसी छेदन की चोटी से 45 से.मी. पर कोई छेदन (Incision) नहीं िकया जाएगा। िकन् तु अिनवायर् मामलों में और िलिखत में िदये कारणों से िजलाध् यक्ष, भूिम से 120 से.मी. से 35 से.मी. पर छेद बनाने की अनुमित दे सकता है।
(3) छेद की अिधकतम गहराई, वृक्ष के व् यास से एक ितहाई से अिधक नहीं होगी, और अिधकतम चौड़ाई वृक्ष की पिरिध के एक ितहाई से अिधक नहीं होगी। दो नाप उस ः थल पर िलये जाएंगे जहां छेद बनाया गया है।
(4) कोई भी वृक्ष में, एक रस िनकालने का मौसम (Tappling Season) में एक से अिधक बार टोंटी नहीं लगावेगा तथा वषर् में 6 माह से अिधक समय के िलये टोंटी नहीं लगाई जावेगी और पुन: टोंटी लगाने के पूवर् एक रस िनकालने का मौसम समाप् त करना होगा।
(5) ठेकेदार वृक्ष के िशखर के नीचे के पत् ते तोड़ सकता है, परन् तु ऊपर से िनकली केन् िीय मेखला वृिद्ध में ूत् येक िशखर में कम से कम आठ पत् ते अवँ य छोड़ेगा।
(6) ठेकेदार के छेदन के समय, काटे गये पत् तों को न तो हटावेगा, व बेचेगा या अन् य ूकार से व् ययन करेगा।
(7) ठेकेदार संिवदा के अन् तगर्त कायर् ूारम् भ करने के पूवर्, आबकारी िवभाग से अनुज्ञिप्त (License) ूाप् त करेगा तथा आबकारी अिधिनयम तथा उसके अन् तगर्त बने िनयम तथा अनुज्ञिप्त की शतोर्ं का पालन करने हेतु बाध् य होगा।

25. गोंद के िलये िवशेष िनयम - जहाँ गोंद िनकालने की संिवदा हैं, ठेकेदार गोंद के बहाव को बढ़ाने के िलये, वृक्ष में िकसी ूकार आघात नहीं करेगा या क्षित नहीं पहुँचावेगा।

26. हरार् के िवशेष िनयम - जहाँ संिवदा हरार् फल के संमहण की है, वन ठेकेदार फल एकिऽत करने में वृक्ष को नुकसान नहीं पहुँचावेगा।

26-A. बही लकड़ी के िलये िवशेष िनयम - जब संिवदा, बहती हुई पकड़ी गई, िकनारे लगी, भटकी हुई या डूबी हुइर् लकड़ी के सम् बन्ध में हो तो िनम् न ूावधान लागू होंगे-

(1) वन ठेकेदार वह लकड़ी नहीं संमहीत करेगा िजसको राज् य शासन ने अिधिनयम की धारा 45 के ू ावधानों अन् तगर्त छूट दी हो।
(2) इस ूकार संमहीत इमारती लकड़ी की िनधार्िरत िडपों में सही ढंग से थप् पी (Stack) लगाई जावेगी। उक् त इमारती लकड़ी की िडपो में आमद दशार्ने हेतु एक रिजः टर रखा जावेगा। 14 िदन के अन् तराल में ठेकेदार आमद रिजः टर का गोशवारा (Abstract) वन मण् डलािधकारी कायार्लय में ः तुत करेगा। िबना उक् त अिधकारी (वन मण् डलािधकारी) की िलिखत अनुमित के कोई लकड़ी िडपो से हटाई (िनकासी) नहीं जावेगी या िडपो से अन् य ठेकेदार को हटाने की अनुमित नहीं दी जायेगी।
(3) वन मण् डलािधकारी, वन ठेकेदार को, समय-समय पर ठेकेदार द्वारा संमिहत इमारती लकड़ी के कब् जा वापसी के सम् बन् ध में लाये गये वाद, ः वत् वों (Claims) के पिरणाम (फैसले) से अवगत करावेगा। यिद कोई व् यिक्त, सम् बिन्धत इमारती लकड़ी का कब् जा पाने का अिधकारी घोिषत िकया जाता है और वह धारा 51 में िनधार्िरत िनः तारण फीस (Salvage fee) ठेकेदार को भुगतान करता है, तो ठेकेदार वह लकड़ी उस व् यिक्त को िडपो में सौंप देगा तथा उपिनयम (2) एक अन् तगर्त अपेिक्षत, वन मण् डलािधकारी की अनुमित पऽ लाने पर िडपो से उसे इमारती लकड़ी ले जाने देगा।
(4) केवल वही इमारती लकड़ी ठेकेदार को िबकी हुई मानी जावेगी जो अिधिनयम की धारा 48 के अन् तगर्त उसमें िनिहत(Vest) हो सके।
(5) वन ठेकेदार द्वारा, िजस इमारती लकड़ी को िनधार्िरत(Prescribed) िडपो में संमिहत एवं थप् पीकरण नहीं की हो, उस पर या उसके सम् बन् ध में वन ठेकेदार का कोई ः वत् व (Claim) नहीं रहेगा।

27. घास कटाई, चराई सम् बन् धी िनिवदा - जहाँ वन संिवदा घास कटाई, घास का िवबय का अिधकार एवं पशु चराने की अनुमित देती है वहां िनम् निलिखत िवशेष ूावधान लागू होंगे -

(1) वन संिवदा क्षेऽ में, वन ठेकेदार भेड़, बकरी और ऊँटों को चराने की अनुमित नहीं देगा। (2) संिवदा क्षेऽ में, उस ः थान में जो "चारा आरक्षण क्षेऽ" (Fodder Reserve) है, उस क्षेऽ में 2 एकड़ (0.8 हेक् टेयर) क्षेऽ के िलए एक गाय-बैल के िहसाब से पशु चराई ूितबिन्धत (Restrict)करेगा।

(3) अन् य क्षेऽ ों में वह ूित एकड़ (0.4 हेक् टेयर) में एक गाय या बैल के िहसाब में पशु चराने की संख् या ूितबिन्धत करेगा।
(4) यिद यह अपनी संिवदा की शतोर्ं के द्वारा वह भैंसे चराने के िलए अिधकृत है, तब उपिनयम (2)एवं (3) के ूयोजनों के िलये एक भैंस या भैसा दो गाय बैलों के समतुल् य माना जावेगा। वन संिवदा की शतोर्ं के भंग होने के पिरणामों को
िविनयिमत करने के िनयम

28. संिवदा की शतेर्ं होने पर, ठेका समािप्त एवं दण् ड - (1) ूत् येक वन संिवदा, संलग् न ूारूप में िलिखत रूप में होगी और उसमें ऐसा ूावधान िजससे वन ठेकेदार अपने आपको संिवदा या उसके अन् तगर्त सभी कतर्व् योंऔर कायोर्ं को करने के िलये ूितबिन्धत करेगा और ूसंिवदाएँ (Convenants) िक वह उसके नौकर औरअिभकतार् उक् त संिवदा द्वारा, या उसके अन् तगर्त िनषेध िकये सभी कायोर्ं से बचा रहेगा, का समावेश होगा।

(2) िक उक् त अनुबन् ध (Stipulation) के भंग होने की दशा में, देय रािश, जो वन संिवदा में िलखी जावेगी, वह रािश ठेकेदार द्वारा पटाई जाने वाली ठेके के कुल मूल् य के एक चौथाई से अिधक नहीं होगी और अिधिनयम की धारा 82 और िनयमों के ूावधान के अनुसार वसूली योग् य होगी :

परन् तु यिद ठेके का कुल मूल् य िनिश्चत की गई रािश नहीं हैं (जैसे गोंद के ठेके में ूित िक्वंटल की दर से गोंद की िनिवदा ली जाती है तथा िजसनी माऽा ूदान की जाती है उसका मूल् य वसूल िकया जाता है) तब संिवदा िनं पादन करने वाला वन अिधकारी, कुल रािश का ूाक् कलन इस ूकार बनावेगा, मानो संिवदा का पूणर्रूपेण पालन हुआ है, और ऐसा ूाक् कलन ठेकेदार द्वारा पटाये जाने वाला कुल मूल् य, इस उपिनयम के ूयोजनों के िलये माना जावेगा।

(3) जब तक िनयम 20 (3) के अन् तगर्त संिवदा समाप् त नहीं हो जाती है, तब तक यह रािश ठेकेदार से वसूल नहीं की जावेगी और वह भी संिवदा को िनं पािदत करने वाले अिधकारी के िलिखत आदेश से होगी।

िनयम 29. शतोर्ं का िनवर्हन न करने पर संिवदा की समािप्त - (1) यिद ठेकेदार अपनी संिवदा से िलये ठेके का मूल् य पटाने में व् यितबम करता है या उसको कोई िकँ त पटाने में व् यितबम करता है या संिवदा की िकसी शतर् को भंग करता है, तब शासन की और से संिवदा को िनं पािदत करने वाला अिधकारी द्वारा, वन संिवदा समाप् त की जा सकती है।

(2) संिवदा समािप्त की सूचना, वन ठेकेदार को िलिखत रूप में उसको ः वत: देकर या रिजः टडर् पोः ट से भेजकर की जावेगी। संिवदा समािप्त के बाद, ठेकेदार के संिवदा सम् बन् धी अिधकार, ूवेश अनुज्ञिप्त सिहत समाप् त हो जावेंगे और संिवदा क्षेऽ में शेष सभी वन उपज तथा िनयम 13 में िविनिदर्ं ट िडपो में शेष बची सभी वन उपज शासन की एकमाऽ सम् पित्त हो जावेगी।

(3) उक् त समािप्त पर -

(अ) संिवदा के अन् तगर्त पटाये गये ठेके के मूल् य या उसकी िकँ त के रूप में पटाई गई सभी रािश रखने का,
(ब) वन संिवदा की समािप्त की ितिथ तक, ठेके का मूल् य या उसकी जो िकँ त बकाया है और ठेकेदार द्वारा नहीं पटाई गई है, उसको राजः व की बकाया के रूप में वसूल करने का,
(स) िनयम (28) के अन् तगर्त वसूल की जाने योग् य शिःत राजः व की बकाया (Arrear of Land Revenue) के रूप में वसूल करने का,
(द) िनयम 15 के अन् तगर्त मूल् यांिकत की जाने योग् य नुकसानी को वसूल करने का,
(ई) उस समािप्त के ठेके के मूल् य का कोई अंश जो तत् पँ चात् देय होगा, को राजः व के बकाया के रूप में वसूल करने का, या संिवदा समािप्त पर बकाया रािश की वसूली हेतु संिवदा के पुन: िवबय करने पर बकाया रािश से िजतनी कम रािश ूाप् त हो उसको राजः व की बकाया रािश के बतौर वसूल करने के िलए शासन अिधकृत होगा।

नोट : वन संिवदा के िनयम 28 तथा 29 उस समय लागू होते हैं जब िलिखत अनुबन् ध िनं पािदत हो जाता है। के.पी.चौधरी िव. म.ू. शासन 1966 एम. पी. एल. जे 1057।

उदाहरण : िकसी ठेके में संिवदा समािप्त के समय 40,000/- रुपयों की अगली िकँ तें देय हैं, यिद संिवदा क्षेऽ में शेष वनोपज का नीलाम 35,000/- हजार रुपये में होता है, तो शेष 5,000/- धारा 29 (ई) के अनुसार बकाया राजः व के बतौर ठेकेदार से वसूली योग् य होगा।

िटप् पणी : जब संिवदा के पालन के िलये िनिश्चत अविध हो, तथा वन ठेकेदार द्वारा बय मूल् य की िकँ तों का पटाने की िनिश्चत ितिथ हो, तब वन ठेकेदार द्वारा िकँ तों का पटाया जाना संिवदा पालन की पूवर् आवँ यक शतर् है, और यिद ठेकेदार द्वारा उक् त बम अनुसार िकँ त नहीं पटाने के फलः वरूप संिवदा को िनं पािदत करने वाले अिधकृत अिधकारी द्वारा िनयम 29 द्वारा संिवदा समाप् त की जाती है तो वन ठेकेदार का धारा 29(2) के तहत संिवदा से अिधकार समाप् त हो जाता है और संिवदा क्षेऽ में, शेष वन उपज शासन की सम्पित्त हो जाती है।

(देखेंJ.L.J. 1972, पृष्ठ 418, म.ू. शासन िव. सरदार बूटािसंह)

30. संिवदा समािप्त के िबना शतोर्ं के भंग के िलये अन् य शािःत -

(1) वन ठेकेदार अपनी िकसी शतर् को भंग करता है िकन् तु उसके कारण उसकी सं िवदा समाप् त करना ूः तािवत नहीं है, तो िनयम (28) में उपबिन्धत पूरी शाि ःत उससे वसूल नहीं की जावेगी, परन् तु वन मण् डलाि धकारी को भ. व. अ. 1927 की धारा 82 के अन् तगर्त उसका अंश, जो पाँच सौ रुपये से अिधक न हो, वसूल करने का अिधकार होगा।

(2) वन मण् डलाि धकारी का इस िनयम के अन् तगर्त पाि रत आदेश, वन संरक्षक के समक्ष अपील योग् य होगा। यिद आदेि शत राि श दो सौ रूपये से अिधक है, अन् यथा वह अिन्तम होगा।(3) इस िनयम के अन् तगर्त, आदेि शत राि श के पटाये जाने पर, ठेकेदार पर उस शतर् के भंग के िलये (िजसके िलये शाि ःत पटाई है) आगे की कायर्वाही से मुक् त कर िदया जावेगा िकन् तु धारा 15 के अन् तगर्त आरिक्षत वन में िकये नुकसान के दाि यत् व से मुक् त नहीं होगा।

िटप् पणी : यिद ठेकेदार सं िवदा भंग को चुनौती देता है तो मध् यः थ के िनणर्य के िबना शाि ःत नहीं लगाई जा सकती। (देखेंM.P.L.J/1966, नोट 19 संतिनसंह िव. मुख् य वन संरक्षक)

31. अकाल की िःथित में वन सं िवदा की समाि प्त - राज् य शासन के यह िनणर्य िलये जाने की दशा में िक वन सं िवदा के अन् तगर्त िब बी शुदा सभी या कोई वन उपज को, सं िवदा क्षेऽ या उसके िकसी भाग में, िन:शुल् क एकऽीकरण के िलये खुला रखना आवँ यक है, तब उक् त सं िवदा इस ूकार खुलने की ितिथ से समाप् त हो जावेगी। वन ठेकेदार, उक् त समाि प्त के द्वारा, उसको हुए नुकसान के िलये मुआवजा (Compensation) पाने का अिधकारी होगा, और उक् त मुआवजा संभाग आयुक् त (Commissioner) द्वारा वन संरक्षक की राय से िनधार्िरत िकया जावेगा।

वन संरक्षक के सहमत न होने पर यह मुआवजा राज् य शासन द्वारा िनधार्िरत िकया जावेगा।

यह मुआवजा, ठेकेदार िजतनी वनोपज संमह करने से वंिचत हुआ है, उसका ूाक् कलन कर, ठेके के कुल मूल् य में कुल वनोपज जो ूाप् त होती, का अनुपात कर, उस अनुपात में देय होगा।

उदाहरण : िकसी ठेकेदार ने िकसी सं िवदा क्षेऽ में अचार संमहण करने का ठेका िलया है। उस सं िवदा क्षेऽ में 500 िक्वंटल अचार संमहण होना अनुमाि नत है और ठेका 50,000/- रुपये में िलया है। ठेका समाि प्त के समय तक वह 400 िक्वंटल अचार संमहण कर सका है तो उसे अनुमाि नत 100 िक्वंटल अचार का मुआवजा 10,000/- ूाप् त होने की पाऽता रहेगी।

िविवध िनयम

32. ूाकृि तक िवपदा या तीसरे व् यिक्त के िकये कायर् से हुइर् क्षित का उत् तरदायी नहीं - आग, तूफान, रोग, संबामण रोग, बाढ़, अकाल या अन् य ूाकृि तक िवपदा या तीसरे व् यिक्त द्वारा िकये गये गलत कायर्, या सं िवदा के अन् तगर्त खरीदी गई वनोपज में पोलापन (Unsoundness) या टूट (Breakage) या अनुपयोि गता के कारण हुइर् क्षित के िलये वन ठेकेदार िकसी मुआवजे का अिधकारी नहीं होगा।

33. वन सं िवदा का समनुदेशन

(1) िनयम के अनुसार सं िवदा क्षेऽ से लाई गई और िनयम 13 के अन् तगर्त ः थािपत िडपो में जाँच हुई, सभी वन उपज ठेकेदार के एकमाऽ अिधकार में रहेगी।

(2) वन ठेकेदार, कूप से या सं िवदा क्षेऽ से नहीं िनकाली वन उपज भी दूसरे व् यिक्त को सौंप सकता है (Assign) लेि कन ऐसा सौंपना (Assignment) तब तक वैध नहीं होगा, जब तक की सं िवदा िनं पाि दत करने वाले अिधकारी की िलिखत पूवर् ः वीकृि त से नहीं िकया गया हो। ः वीकृि त देने वाला अिधकारी, यिद उसकी राय में ऐसा सौंपना शासन के िहत या सावर्जिनक राजः व (Public Revenue) के िहत में न हो तो उसे ः वीकृि त न देने का अिधकार होगा।

34. िरँ तेदारों की सूची - वन ठेकेदार, वन सं िवदा िनं पाि दत करने के पूवर्, अपने सभी िरँ तेदारों की सूची तथा उनसे िरँ ता बताते हुए, जो वन िवभाग में सेवारत हैं, िनं पादन करने के िलये अिधकृत वन अिधकारी को ूः तुत करेगा।

वन उपज की खरीदी एवं िबबी के िलये सं िवदा का ूारूप

(िनयम 28)

यह करार आज िदनांक .... मास .... सन् .... ूथम पक्ष .... के माफर्त कायर् करते हुए मध् यूदेश के राज् यपाल (िजन् हें आगे शासन कहा गया है, िजस अिभव् यिक्त में उनके िकसी उत् तराि धकारी, ूितिनिध तथा अिभहः तांिकती सिम्मिलत होंगे) तथा िद्वतीय पक्ष ौी .... आत् मज .... िनवासी .... (िजन् हें इसके आगे वन ठेकेदार कहा गया है िजस अिभव् यिक्त में उसके वाि रस, उत् तराि धकारी, ूितिनिध तथा अभीहः तांिकती सिम्मिलत होंगे) के मध् य िकया जाता है।

अब यह ूलेख िनम् निलिखत बातों का साक्षी है -

(1) नीचे दी गई ूथम अनुसूची में विणर्त वन उपज (इसके पँ चात् वन उपज कहा जायेगा) जो किथत अनुसूची में िविनिदर्ं ट क्षेऽ में िःथत है (इसके पँ चात् सं िवदा क्षेऽ के रूप में िनिदर्ं ट है) को इसके पँ चात् िलिखत शतोर्ं पर राज् यपाल वन ठेकेदार को बेचने का करार करता है और वन ठेकेदार खरीदने का करार करता है।

(2) इस संिवदा के अन् तगर्त बेचे जाने वाले किथत वन उपज की माऽा इस करार के िनं पादन के समय िवद्यमान माऽा या संिवदा क्षेऽ में तत् पँ चात् अिःतत् व में आई किथत वन उपज होगी, उन सबको वन ठेकेदार, संिवदा क्षेऽ के िनरीक्षण के पँ चात् "कूप बाउन् डरी सिटर्िफकेट" देने के िदनांक से िदनांक .... मास .... सन् .... दोनों िदन शािमल, इसके पँ चात् िलिखत शतोर्ं के अनुसार वन ठेकेदार एकिऽत कर सकता है और ले जा सकता है।

(3) उपरोक् त िनयम 2 के आवँ यक ूमाण-पऽ ूदान करने के एक माह के भीतर, वन ठेकेदार िदनांक .... माह .... सन् .... के पूवर् किथत वन उपज को एकिऽत करने का और ले जाने का कायर् ूारम् भ करेगा और .... (इसके पँ चात् किथत अिधकारी िनिदर्ं ट होगा) या अन् य अिधकारी िजसको किथत अिधकारी नामांिकत करे, की पूणर् सन् तुिष्ट पर सतत् : एवं समुिचत ूगित संिवदा की अविध में पूणर् करेगा।

(4)(1) वन ठेकेदार द्वारा किथत वनोपज के िलये देय ूितफल और उसके पटाने की रीित नीचे बताये गये ूपऽ मे िविनिदर्ं ट अनुसार होगी -

ितफल की कुल रािश	िकँ तों की संख् याएवं रािश	िकँ तोंके पटाने की ितिथयाँ	कोषालय या उप-कोषालय जहाँ रािश जमा की जावेगी

(4)(2) सभी भुगतान जो िक उपिनयम (1) के अन् तगर्त कोषालय या उप कोषालय में िकये जावेंगे, वे चालान द्वारा िदये जावेंगे जो िक वन ठेकेदार द्वारा किथत अिधकारी के कायार्लय से या ऐसे अन् य कायार्लय से जैसा िक किथत अिधकारी िनदेर्िशत करे, से ूाप् त िकया जावेगा। अन् य िकसी तरीके से िकया भुगतान इस संिवदा के अन् तगर्त िकया गया भुगतान नहीं माना जावेगा।

नोट - अब भुगतान वन मण् डलािधकारी के नाम से बैंक साफ्ट/चेक से भी िकया जा सकता है लेिकन भुगतान उसकी रकम ूाप् त होने पर माना जावेगा।

(5) िनम् न सािरणी में िविनिदर्ं ट मागोर्ं द्वारा किथत वन उपज संिवदा क्षेऽ से वन ठेकेदार द्वारा ले जाई जावेगी, और इस सािरणी में िविनिदर्ं ट एक या अन् य िडपो में जाँच के िलये ूःतुत की जावेगी -

मागर् िजसके द्वारा वन उपज ले जाई जावेगी(1)	िडपो जहाँ पर वन उपज जाँचके िलये ूःतुत की जावेगी(2)

(6) वन ठेकेदार समय-समय पर संशोिधत वन संिवदा िनयम (िजसकी एक ूित वन ठेकेदार को दी है और िजसकी ूािप्त वन ठेकेदार यहां ः वीकार करता है) के अध् याधीन होगा और वे िनयम, जहाँ तक इसमें लागू हैं इस संिवदा का भाग माने जावेंगे :

परन् तु नीचे दी गई, िद्वतीय अनुसूची में ूदिशर्त तरीके से एवं सीमा तक किथत िनयम पिरविधर्त माने जावेंगे।

(7) वन ठेकेदार एतद्द्वारा, अपने आपको आपेिक्षत सभी कत् तर्व् यों एवं कायोर्ं को करने के िलये बाध् य करता है और भारतीय वन अिधिनयम, 1927 वन संिवदा िनयम और इस संिवदा द्वारा िनषेध िकये गये कोई कायर् करने से अपने आपको, अपने नौकरों एवं अिभकतार्ओं को बचाये रखने के िलए बाध् य करता है और भारतीय वन अिधिनयम, वन संिवदा िनयम या संिवदा के अन् तगर्त ः वत: के द्वारा की गई ूत् येक भूल या उसके नौकरों, अिभकतार्ओं द्वारा िकया गया ूत् येक कायर्, जो िक भारतीय वन अिधिनयम, वन संिवदा िनयम या इस संिवदा के उल् लंघन में हो उसके िलये वन ठेकेदार, राज् यपाल को .... रुपये पटाने के िलए सहमत होता है।

(8) वन ठेकेदार नीचे दी गई अनुसूची में, िविनिदर्ं ट ितिथयों को या उसके पूवर्, सभी वन उपज, जो इसके द्वारा संिवदा क्षेऽ से ले जायी गयी है, उसका िववरण किथत अिधकारी को या वह अिधकारी िजसके िलये िनदेर्श दे, ूः तुत करेगा।

(9) इस संिवदा की िकसी शतर् के िनवर्चन, या पालन (कायर् करने) के सम् बन् ध या उसके भंग होने के सम् बन् ध में, शंका या िववाद पक्षकारों के मध् य उत् पन् न होने की दशा में, मामला .... तो िनदेर्िशत िकया जावेगा िजसका िनणर्य उसके पक्षकारों के िलये अिन्तम और बन् धनकारी होगा। ू

थम अनुसूची

(खंड (1) के अनुसार)

वन उपज का वणर्न	क्षेऽ जहाँिःथत है

िद्वतीय अनुसूची

(खंड (6) के अनुसार)

सीमा व तरीका िजसमें वन संिवदा िनयम पिरविधर्त माना जावेगा।

तृतीय अनुसूची

(खंड (8) के अनुसार)

िितथ, िजस पर या िजसके पूवर् वन ठेकेदार द्वारा ले जाई गई वन उपज का िववरण खंड (8) के अन् तगर्त ूः तुत करना है।

िनम् न के साआ य में, सम् बिन्धत पक्षों ने ूत् येक मामले में िलखे गये िदनांक तथा वषर् को अपने-अपने हः ताक्षर िकये -

साआ य - 1. .... 2.

तारीख ....

साआ य - 1. ....

2. तारीख .... ू

ितभूिित बन् धनामा (Security Bond)

अत: उक् त संिवदा की शतोर्ं का पूणर् रूपेण पालन को सुिनिश्चत करने के िवचार से राज् यपाल ने वन ठेकेदार से ूितभूिित माँगी है। अत: मैं .... आत् मज .... िनवासी .... पेशा .... वन ठेकेदार की ओर से ूितभूिित, वचन देता हूँ िक ठेकेदार द्वारा िकये गये कोई कायर् भूल, असावधानी या व् यिक्तबम के सम् बन् ध में वन ठेकेदार के दाियत् व की कोई भी रािश उक् त संिवदा की शतोर्ं के अन् तगर्त या द्वारा को देय हो जाये, तो देने के िलये बाध् य रहूँगा।

मैं इस बात के िलये भी सहमत हूँ िक इस ूितभूिित पऽ की शतर् के अन् तगर्त मेरे द्वारा राज् यपाल को देय कोई भी रािश, राजः व की बकाया रािश के रूप में उसी ूकार मुझसे वसूल योग् य होगी।

साआ य - 1. ू

2.

मैं इस ूितभूिित को ः वीकार करता हूँ।

िितभू .... तारीख ....

....

....

ठेकों के सम् बन् ध में िवशेष

भारत के संिवधान की धारा 209 (1) के द्वारा ूदत् त शिक्तयों का उपयोग करते हुए, मध् य ूदेश के राज् यपाल, इस सम् बन् ध में पूवर् की समः त अिधसूचनाओं को रद्द करते हुए, एतद्द्वारा िनदेर्िशत करते हैं िक नीचे िलखे ठेके और सम् पित्त के बीमा सम् बन् धी संिवदाओं का मध् य ूदेश शासन की ओर से िनं पादन िनम् नानुसार िकया जावेगा -

वन िवभाग के सम् बन् ध में - वन िवभाग के अन् तगर्त वनों के कायोर्ं से सम् बिन्धत संिवदाएँ या ूशासन सम् बिन्धत अनुबन् ध महािनदेशक, मुख् य वन संरक्षक, उप मुख् य वन संरक्षक, वन संरक्षक, उप वन संरक्षक या सहायक वन संरक्षक द्वारा उस सीमा तक, जो राज् य समय-समय पर अिधसूचना द्वारा िनधार्िरत करे, िनं पािदत करेंगे।

मध् य ू देश शासन िवत् त िवभाग आदेश ब. जी - 17-1.95-सी । चार िदनांक 5.10.95 द्वारा िनम् नानुसार अिधकार अिधसूिचत िकये हैं -

कायर्/ठेके का िवषय अिधकारी	अिधकार सीमा	
(1) ठेकों का िनं पादन		
(अ) वन िवभाग ू	मुख वन संरक्षक	पूणर् अिधकार
द्वारा माल ूदाय मुख् य वन संरक्षक	25 लाख तक	
	वन संरक्षक	10 लाख तक
	वन मण् डलािधकारी	5 लाख तक
(2) वन िवभाग को ू	मुख वन संरक्षक	25 लाख तक
माल ूदाय मुख् य वन संरक्षक	15 लाख तक	
	वन संरक्षक	10 लाख तक
(3) तेन् दू पत् ता तथा अन् य वनोपज के संमहण हेतु एजेन् ट िनयुक् त करने के ठेके	वनमण् डलािधकारी	पूणर् अिधकार
(4) ठेकेदार/ठेके के मजदूरों को ू	मुख वन संरक्षक	1 लाख तक
अिमम की ः वीकृित मुख् य वन संरक्षक	50 हजार तक	
	वन संरक्षक	25 हजार तक

	वन मण् डलाि धकारी	10 हजार तक
	उप वन मण् डलाि धकारी	2 हजार तक
(5) िवभागीय संमिहत या बय ू	मुख वन संरक्षक	1 लाख तक
िकये तेन् दु पत् ते के ठेके जब		
पूणर् मूल्य ूदाय के समय		
ूाप् त हो :		
(अ) जब िबबी हेतु टेण् डर		
आमिन्Sत हो -		
(i) जब िबबी दर शासन द्वारा		
ः वीकृत या अिधक हो वन मण् डलाि धकारी		पूणर् अिधकार
(ii) जब मानक बोरा दर इमारती लकड़ी के सम् बन् ध		
शासन की ः वीकृत दर में ः वीकृत दर से कम मूल् य		
से कम हो ू	ाि प्त से सद्दँय अिधकार	
(ब) जब नीलाम से िवबय हो वन मण् डलाि धकारी		पूणर् अिधकार
तथा दर शासन की ः वीकृत		
दर से कम न हो		
(iii) जब दर शासन की वन संरक्षक	पूणर् अिधकार	
ः वीकृत दर से कम हो		
(स) जब िवबय बातचीत राज् य शासन	पूणर् अिधकार	
से हो		
(6) इमारती लकड़ी के अितिरक् त		
िवभागीय संमिहत बय की		
गई अन् य िविनिदर् ट वनोपज		
का टेन् डर खुले िवबय जब		
भुगतान ूदाय से पूवर् ूाप् त हो-		
(अ) जब दर शासन द्वारा वन मण् डलाि धकारी		पूणर् अिधकार
िनधार्िरत दर के समान या		(शासन की पूणर् ः वीकृि त
अिधक है।		के अधीन)
(ब) जब दर शासन द्वारा ू	मुख वन संरक्षक	10 लाख तक
िनधार्िरत दर से कम है। मुख् य वन संरक्षक		5 लाख तक
	वन संरक्षक	2 लाख तक
	वन मण् डलाि धकारी	1 लाख तक
(स) जब शासनद्वाराकोई ू	मुख वन संरक्षक	5 लाख तक
दर ः वीकृत न हो। मुख् य वन संरक्षक	3 लाख तक	
	वन संरक्षक	2 लाख तक
	वन मण् डलाि धकारी	1 लाख तक
(7) वनोपज एवं पिरवहन ठेके ू	मुख वन संरक्षक	10 लाख तक
की ः वीकृि त मुख् य वन संरक्षक	8 लाख तक	
	वन संरक्षक	5 लाख तक
	वन मण् डलाि धकारी	3 लाख तक
(8) वन मजदूर सहकारी सिमित ू	मुख वन संरक्षक	10 लाख तक
माम वन सिमित तथा वन मुख् य वन संरक्षक	8 लाख तक	
सुरक्षा सिमित को ठेके की		
ः वीकृि त वन संरक्षक	3 लाख तक	
	वन मण् डलाि धकारी	1 लाख तक
(9) वन अपराध, में या वन ू ाणी	वन मण् डलाि धकारी	1,500/- तक
अपराध की सूचना देने		
वाले को		

नोट - (1) अितिरक् त ूमुख वन संरक्षक, कायर् िवतरण के अनुसार ूमुख वन संरक्षक के अिधकार का उपयोग करेंगे।

(2) अन् य योजनाओं जैसे फारेःशी ूोजेक् ट, ूोजेक् ट टाइगर, नेशनल पाकर्, विकर्ग प् लान, िडपो िवबय अिधकारी आिद उनके समकक्ष अिधकारी को ूदत् त अिधकारी का उपभोग करेंगे।

(2) ः टाम् प फीस से मुिक्त - राज् य शासन ने भारतीय ः टाम् प एक् ट, 1899 की धारा 9 के खण् ड (a) में ू

दत् त शिक्त के अनुसार िनम् न ूकार के अनुबन् धों को ः टाम् प ड्यूटी से मुक् त करता है :

"इकरारनामा" एवं "जमानतनामा" जो उसके जमानतदार द्वारा िदया गया हो एवं म. ू. वन सेवा शतोर्ं पर िनयुिक्त, पदोन् नित के समय लगने वाले 'इकरारनामे (Agreement Bonds) एवं जमानतनामे (Security Bonds)

(ii) वन िवभाग के खड़े वृक्षों या अन् य, वनोपज के ठेके:

(iii) वन उपज के ठेकों के जमानतदारों को (ः टाम् प एक् ट 1899, िशड्यूल 1 का अिटर्कल (57) के अनुसार ः टाम् प शुल् क का भुगतान करना होगा)।

(3) काली सूची में नाम डालना (Black Listing) - ऐसे ठेकेदार, जो बार-बार संिवदा भंग करते हैं, एवं गम् भीर अवैध कायर् करते हैं, को हािन की वसूली के अितिरक् त कम से कम दो वषर् के िलये 'काली सूची' में नाम डालना चािहए। यह अविध पाँच वषर् तक बढ़ाई जा सकती है। यह आदेश मण् डलािधकारी की पहल पर वन संरक्षक द्वारा पािरत िकया जावेगा। आदेश पािरत करने के पूवर् अवहेलना करने वाले (Defaulter) को 'कारण बताओ' सूचनापऽ देना चािहये तथा उसकी ओर से सुनवाई के उपरान् त ही आदेश पािरत होना चािहए। अवहेलना करने वाले ठेकेदार को 'ूाकृितक न् याय' (Natural Justice) िमलना चािहये।

(4) जब ठेकेदारद्वारा देय िकँ त न पटाई जावें, तो वन अिधकारी उसका कायर् रोक सकते हैं। ठेकेदार कोई नुकसानी का दावा नहीं कर सकता। (AIR 1979 Madhya Pradesh 89 M.P.L.J., 1979, 161 (PB)